



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 19.01.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही--

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक



अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 42/26 धारा 3/4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-पारुल उर्फ राहुल पुत्र बलराज निवासी ग्राम संतोषपुर बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 28 वर्ष

2-मुकुल पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम संतोषपुर बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 21 वर्ष

अभियुक्त पारुल उर्फ राहुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 974/18 धारा 323/354/376/452/504/506/511 भादवि थाना बागपत
2. मु0अ0स0 085/20 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत
3. मु0अ0स0 093/20 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत
4. मु0अ0स0 112/20 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली बागपत
5. मु0अ0स0 042/26 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली बागपत

अभियुक्त मुकुल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 761/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना बागपत
2. मु0अ0स0 042/26 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2- है0का0 873 हरीश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3- का0 165 संदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 4- का0 369 विशाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.01.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही--

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेश शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 40/26 धारा 03/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रितिक पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत उम्र 27 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त रितिक का आपराधिक इतिहास-

7. अ०सं० 108/2022 धारा 379/411 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत
8. अ०सं० 339/2022 धारा 413/414/482 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत
9. अ०सं० 294/2023 धारा 379 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत
10. अ०सं० 25/24 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत
11. मु०अ०सं० 45/2024 धारा 411/413/414/420/465 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत
12. मु०अ०सं० 03/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत
13. मु०अ०सं० 40/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत

बरामदगी का विवरण-

➤ 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री अनिल कुमार यादव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2- उ०नि० श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3- का० 1130 सोनू तेवतिया मय थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 4- हो०गा० 170 मनोज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 19.01.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 11/26 धारा 109(1)/352/115(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.01.26 को थाना बिनौली पर वादी 700 0+श्री अर्जुन पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सोमपाल, 2.सूरज, 3. मोनू पुत्रगण शिबू, 4. जोनी पुत्र यशपाल निवासीगण ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद



बागपत द्वारा वादी के भाई विकास पुत्र कंवरपाल के साथ एक राय होकर सिर में लाठी डण्डो व लोहे की रॉड व तमन्चे की बट से जान से मारने की नियत से हमला करना जिससे वादी के भाई का मौके पर बेहोश होकर गिर जाना तथा वादी के पिताजी कंवरपाल के द्वारा अर्जुन को उठाने पर उनके साथ मारपीट करना तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते गाली-गलौच देकर मौके से भाग जाना । इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 11/26 धारा 109(1)/352/115(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 11/26 धारा 109(1)/352/115(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सूरज पुत्र शिबू उर्फ शिवकुमार नि0 ग्राम जौहडी थाना बिनौली जिला बागपत उम्र-25 वर्ष,

2-सोमपाल उर्फ आशीष पुत्र शिबू उर्फ शिवकुमार नि0 ग्राम जौहडी थाना बिनौली जिला बागपत उम्र- 26 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0स0 11/26 धारा 109(1)/352/115(2) BNS व 3(2)(V) SC/ST एक्ट ।
- 2- मु0अ0सं0 54/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना बिनौली
- 3- मु0अ0सं0 12/2024 धारा 323/452/504 भादवि थाना बिनौली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2. है0का0 700 सुनील कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3. है0का0 711 लेखराज थाना बिनौली

